न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6 गाजियाबाद।

IA No. 2/2023
एस०टी०संख्या 264/2019
सरकार बनाम विजय उर्फ गुड्डू
धारा 302,201 भा०द०सं०
थाना विजयनगर,गाजियाबाद।

21-10-2023

अभियुक्त विजय उर्फ गुड्डू की ओर से उक्त मामले में वारण्ट रिकॉल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त नियत तिथियो पर उपस्थित आ रहा था, परन्तु बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं सका और न ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे सका। अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होने में जानबूझकर कोई लापरवाई नहीं की गई। अतः अभियुक्त के वारण्ट निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता हैं कि दिनांक 18-08-2023 को अभियुक्त के उपस्थित न आने के कारण उसके विरूद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किये गये है। अभियुक्त द्वारा अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा के बीमार होने व अपने अधिवक्ता को सूचना न देने के कारण बताय गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी अधिपत्र उसके द्वारा अंकन 1,00,000/-रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने, इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करने पर कि वह नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा, अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा और विचारण में न्यायालय का सहयोग करेगा तथा अभियुक्त द्वारा अंकन 500/- रूपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद में जमा किये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी अधिपत्र निरस्त किये जाते है। अंकन 500/-रूपये अंदर सप्ताह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मे जमा किया जाए। इसकी सूचना सम्बन्धित थाने को प्रेषित की जाए।

(मुकेश कुमार सिंह-प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6
गाजियाबाद।

Digitally signed by MUKESH KUMAR SINGH I
Date: 2023.10.21 17:05:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court